

करेंट अफेयर्स

हरियाणा

(संग्रह)



जनवरी

2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा	3
➤ DARPG आयोग का हरियाणा दौरा	3
➤ सावित्रीबाई फुले जयंती	4
➤ हरियाणा में स्वच्छता पखवाड़ा	5
➤ हरियाणा में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग स्तर में वृद्धि	6
➤ गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा	8
➤ हरियाणा उत्कृष्टता केंद्र	8
➤ हरियाणा में अवैध खनन कार्य	9
➤ मुख्य सचिव का राखीगढ़ी दौरा	11
➤ हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात में वृद्धि	12
➤ हरियाणा में नए आपराधिक कानून लागू होंगे	14
➤ हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध	15
➤ हरियाणा में 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में गीता को शामिल किया जाएगा	16
➤ भूजल प्रदूषण के संबंधी चिंताएँ	17
➤ हरियाणा के दंपतियों ने उत्तर प्रदेश में अवैध लिंग निर्धारण परीक्षण की मांग की	18
➤ विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन	19
➤ फाल्कटेड डक	20
➤ हरियाणा सरकार ने 'आपत्तिजनक' जाति नामों को हटाने का आग्रह किया	22
➤ हरियाणा पुराने वाहनों का निपटान और पुनर्चक्रण करेगा	23
➤ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भिक्षावृत्ति के खिलाफ कानून पर नोटिस जारी किया	24
➤ 2025 गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झाँकी शामिल	24
➤ हरियाणा मंत्रिमंडल ने स्वच्छ वायु परियोजना को दी मंजूरी	25
➤ नीति आयोग का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक	27
➤ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0	29
➤ हरियाणा-दिल्ली यमुना जल विवाद	30
➤ यमुना जल को जहरीला बताने के विरुद्ध मामला दर्ज	32

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

हरियाणा

DARPG आयोग का हरियाणा दौरा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रशासनिक सुधार एवं कार्मिक शिकायत विभाग (DARPG) के एक प्रतिनिधिमंडल ने सेवा का अधिकार आयोग, हरियाणा का दौरा किया।

मुख्य बिंदु

- दौरा किये गये संस्थान:
 - ◆ प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा डिस्कॉम्स और आयोग द्वारा निगरानी किये जाने वाले अंत्योदय सरल कॉल सेंटर का दौरा किया।
 - ◆ उन्होंने निर्बाध सेवा वितरण प्रक्रियाओं का अवलोकन किया तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागरिकों के साथ बातचीत के सत्र में भाग लिया।
 - ◆ सत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से वास्तविक समय पर शिकायत समाधान पर जोर दिया गया।
- सेवा का अधिकार आयोग की उपलब्धियाँ:
- सेवा वितरण परिवर्तन:
 - ◆ आयोग ने 422 अधिसूचित सेवाओं को समयबद्ध तरीके से प्रदान करके सेवा वितरण में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है।
 - ◆ प्रत्येक कार्यालय में सेवा वितरण के लिये समयसीमा निर्दिष्ट करने वाले नोटिस बोर्ड प्रदर्शित किये जाते हैं।
- डिजिटलीकरण और नवाचार:
 - ◆ कॉल सेंटर, अंत्योदय सरल पोर्टल और क्षेत्रीय कार्यालयों को एकीकृत करते हुए प्रक्रियाओं का व्यापक डिजिटलीकरण लागू किया गया।
 - ◆ एक स्वचालित अपील प्रक्रिया शुरू की गई तथा इसकी कड़ी निगरानी की गई, जिससे शिकायत निवारण में सुधार सुनिश्चित हुआ।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)

- यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण के लिये भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।
- यह कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन है।
- यह केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) प्रदान करता है, जो नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों और विभागों के साथ शिकायत दर्ज करने के लिये एक ऑनलाइन मंच है।
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) अत्यावश्यक शिकायतों को चिन्हित करने तथा स्पैम, बल्क और दोहराव वाली शिकायतों का पता लगाने के लिये इंटेलिजेंट शिकायत प्रबंधन प्रणाली (IGMS) का भी उपयोग करता है।
- IGMS शिकायतों के अर्थगत सार को जानने के लिये उनकी पाठ्य सामग्री और अनुलग्नकों का भी विश्लेषण करता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
कलासरुम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

सावित्रीबाई फुले जयंती

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा के मुख्यमंत्री 3 जनवरी, 2024 को समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिये बहादुरगढ़ का दौरा करने जा रहे हैं।

सावित्रीबाई फुले

(03 जनवरी, 1831 - 10 मार्च, 1897)

19वीं सदी की एक प्रमुख समाज सुधारक जिन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम किया

आरंभिक जीवन

- ▶ जन्म माली समुदाय में (महाराष्ट्र)
- ▶ 9 वर्ष की आयु में 13 वर्षीय ज्योतिराव फुले के साथ विवाह- भारत के सामाजिक और शैक्षिक इतिहास में एक असाधारण युगल

सामाजिक योगदान

- ▶ व्यक्तिगत
 - काव्य फुले (1854) और बावन काशी सुबोध रत्नाकर (1892) का प्रकाशन
 - वर्ष 1852 में महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये 'महिला सेवा मंडल' की शुरुआत
 - वंचित समुदायों के लिये 'गो, गेट एजुकेशन' कविता की रचना
 - ज्योतिबा की मृत्यु (1890) के बाद सत्यशोधक समाज को आगे बढ़ाया



ज्योतिबा के साथ

- ▶ 1848 में पूना में लड़कियों, शूद्रों और अति-शूद्रों के लिये एक स्कूल शुरू किया (महिलाओं के लिये भारत का पहला स्कूल जिसे भारतीयों द्वारा शुरू किया गया)
- ▶ 1850 के दशक में नेटिव फीमेल स्कूल (पुणे) और सोसायटी फॉर प्रमोटिंग दि एजुकेशन ऑफ महार्स एंड मॉंस की शुरुआत
- ▶ अपने ही घर में बालहत्या प्रतिबंधक गृह की शुरुआत



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

मुख्य बिंदु

- अधिकारियों को निर्देश:
 - ◆ सभी विभागीय अधिकारियों को समय पर एवं जिम्मेदारी के साथ तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिये गए।
 - ◆ अधिकारियों को क्षेत्र में **अतिक्रमण** हटाने और **सफाई व्यवस्था** बढ़ाने के निर्देश दिये गए।

हरियाणा में स्वच्छता पखवाड़ा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद- राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI)** ने हरियाणा के करनाल ज़िले में स्वच्छता अभियान की एक श्रृंखला आयोजित की।

- इसका उद्देश्य स्वच्छ और हरित भारत को बढ़ावा देते हुए **स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण** के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।

मुख्य बिंदु

- आयोजित गतिविधियाँ:
- जागरूकता कार्यक्रम:
 - ◆ छात्रों को व्यक्तिगत, सामुदायिक और संस्थागत स्तर पर स्वच्छता बनाए रखने के बारे में शिक्षित किया गया।
 - ◆ **अपशिष्ट को संपत्ति में बदलने** तथा अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान करने पर प्रशिक्षण दिया गया।
- स्वच्छता अभियान:
 - ◆ कर्मचारियों ने संस्थान परिसर की सफाई की तथा पुराने रिकार्डों और खराब उपकरणों का निपटान किया।
 - ◆ विशेष वृक्षारोपण अभियान आयोजित किये गये।
- अभियान और जागरूकता:
 - ◆ **एकल-उपयोग प्लास्टिक को हतोत्साहित** करने के लिये अभियान चलाए गए।
 - ◆ **पहल का ध्यान अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण** और आवासीय कॉलोनियों में **कृषि, बागवानी और रसोई उद्यानों** के लिये जल संचयन को बढ़ावा देने पर केंद्रित था।
- गाँव की भागीदारी:
 - ◆ **'मेरा गाँव मेरा गौरव'** कार्यक्रम के तहत शामिल किये गए गाँवों में सफाई एवं स्वच्छता अभियान चलाया गया।
 - ◆ सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये स्थानीय हस्तियों को शामिल करते हुए **नुक्कड़ नाटक (सड़क नाटक)** प्रस्तुत किये गए।
- किसान दिवस मनाना:
 - ◆ वैज्ञानिकों और छात्रों ने डाचर गाँव में **किसान दिवस** मनाया।
 - ◆ किसानों को कृषि पद्धतियों में स्वच्छता के व्यावहारिक समाधान पर केंद्रित **इंटरैक्टिव कार्यशालाओं** में आमंत्रित किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
कलासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)

- इसकी स्थापना 16 जुलाई, 1929 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।
- यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देश भर में विस्तृत 102 ICAR संस्थानों और 71 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है।
- यह पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिये सर्वोच्च निकाय है।

मेरा गाँव मेरा गौरव

- यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य "प्रयोगशाला से भूमि" प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये किसानों के साथ वैज्ञानिकों के सीधे संपर्क को बढ़ावा देना था।
- इसमें वैज्ञानिकों को अपनी सुविधा के अनुसार गाँवों का चयन करने तथा चयनित गाँवों के साथ संपर्क में रहने तथा किसानों को व्यक्तिगत दौरे या टेलीफोन के माध्यम द्वारा समय सीमा में कृषि के तकनीकी और अन्य संबंधित पहलुओं पर जानकारी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
- वे कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) की सहायता से कार्य कर सकते हैं।

हरियाणा में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग स्तर में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अनुपचारित अपशिष्ट के छोड़े जाने से हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जिलों में यमुना नदी और सिंचाई नहरों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD) का स्तर काफी बढ़ गया है।

मुख्य बिंदु

- चिंताजनक BOD स्तर:
 - ◆ जिला प्रशासन के अनुसार अप्रभावी निगरानी और अपर्याप्त निवारक उपायों के कारण BOD का स्तर स्वीकार्य सीमा से 400-500% अधिक है।
 - ◆ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जल के लिये BOD मानक 10 मिलीग्राम प्रति लीटर है। हाल के नमूनों में इसका स्तर 35 से 40 के बीच दिखा है, जबकि यमुना में कुछ स्थानों पर यह 50 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुँच गया है।
- पर्यावरणीय प्रभाव:
 - ◆ अनुपचारित अपशिष्ट न केवल BOD के स्तर को बढ़ाता है, बल्कि घुलित ऑक्सीजन (DO) के स्तर को भी शून्य कर देता है। इसके परिणामस्वरूप जलीय जीवन नष्ट हो जाता है और तीव्र दुर्गंध आती है।
 - ◆ उच्च BOD स्तर अपशिष्ट जल उपचार और सीवेज प्रबंधन प्रणालियों में विफलता का संकेत देते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन मामलों के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष निकाय है।

परिचय

- ⊕ **स्थापना:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत
- ⊕ **उद्देश्य:** पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी मामलों का त्वरित समाधान
- ⊕ **मामले का समाधान:** 6 माह के अंदर
- ⊕ **मुख्यालय:** नई दिल्ली (मुख्यालय), भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई

संरचना

- ⊕ **संरचना:** अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य
- ⊕ **कार्यकाल:** 5 वर्ष तक/65 वर्ष की आयु तक (पुनर्नियुक्ति नहीं)
- ⊕ **नियुक्तियाँ:** अध्यक्ष - केंद्र सरकार (भारतीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से)
 - 10-20 न्यायिक सदस्य और 10-20 विशेषज्ञ सदस्य - चयन समिति

भारत विश्व स्तर पर तीसरा देश है (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद) साथ ही NGT जैसा विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला पहला विकासशील देश भी है।

शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

- ⊕ **अधिकार क्षेत्र:** पर्यावरण संबंधी मुद्दों और अधिकारों पर दीवानी मामले
- ⊕ **स्वप्रेरणा से अधिकार (Suo Motu Powers):** वर्ष 2021 से प्रदान किये गए
- ⊕ **भूमिका:** न्यायिक, निवारक और उपचारात्मक
- ⊕ **प्रक्रिया:** प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है
 - CPC, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत बाध्य नहीं
- ⊕ **सिद्धांत:** सतत् विकास; निवारक (Precautionary); प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays)
- ⊕ **आदेश:** सिविल कोर्ट के आदेशों के अनुसार निष्पादन योग्य; राहत और मुआवज़ा प्रदान करता है (**निर्णय बाध्यकारी हैं**)
- ⊕ **अपील:** अधिकरण अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
 - यदि निर्णय विफल हो जाता है - 90 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिये

NGT निम्नलिखित के तहत सिविल मामलों का समाधान करता है

- ⊕ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- ⊕ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
- ⊕ वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- ⊕ वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- ⊕ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- ⊕ सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
- ⊕ जैव-विविधता अधिनियम, 2002



कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

- ◆ नियमों के अनुचित कार्यान्वयन और प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है।
- ◆ विशेषज्ञ इस संकट को कम करने के लिये कड़ी निगरानी, बेहतर सीवेज प्रबंधन और **प्रदूषण नियंत्रण उपायों के सुदृढ़ कार्यान्वयन की मांग** कर रहे हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
कलासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD)

- BOD, जल में कार्बनिक पदार्थों के चयापचय की जैविक प्रक्रिया में सूक्ष्मजीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है।
- जितना अधिक कार्बनिक पदार्थ होगा (जैसे, सीवेज और प्रदूषित जल निकायों में), उतना अधिक BOD होगा; और जितना अधिक BOD होगा, मछलियों जैसे उच्चतर जानवरों के लिये घुलित ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही कम उपलब्ध होगी।
- इसलिये BOD किसी जल निकाय के जैविक प्रदूषण का एक विश्वसनीय माप है।

गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा

चर्चा में क्यों ?

ब्लिंकिट गुरुग्राम में 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा शुरू कर रही है और अगले दो वर्षों के भीतर इसे अन्य भारतीय शहरों में विस्तारित करने की योजना बना रही है।

मुख्य बिंदु

- चिकित्सा उपकरण और कर्मचारी:
 - प्रत्येक एम्बुलेंस आवश्यक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, स्वचालित बाहरी डिफिब्रिलेटर (AED), स्ट्रेचर, मॉनिटर, सक्शन मशीन, आपातकालीन दवाएँ और इंजेक्शन शामिल हैं।
 - यह सेवा नवजात शिशु (Neonatal) या वेंटिलेटर केयर प्रदान नहीं करती है।
 - ◆ एम्बुलेंस टीम में एक पैरामेडिक, एक सहायक और एक प्रशिक्षित ड्राइवर शामिल होते हैं।
- सेवा का शुभारंभ और पहुँच:
 - ◆ शुरुआत में गुरुग्राम में पाँच एम्बुलेंस संचालित होंगी।
 - ◆ उपयोगकर्ता ब्लिंकिट ऐप (Blinkit app) के माध्यम से बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं।
- सामर्थ्य और दूरदर्शिता:
 - ◆ ब्लिंकिट का लक्ष्य 2,000 रुपए की किफायती फीस पर यह सेवा उपलब्ध कराना है।
 - ◆ यह पहल लाभ अर्जित करने के बजाय एक गंभीर समस्या के समाधान पर केंद्रित है।

हरियाणा उत्कृष्टता केंद्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने विनियमित शहरी विकास के लिये शहरी उत्कृष्टता केंद्र (CUE) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु

- नोडल एजेंसी और उद्देश्य:
 - ◆ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (DTCP) हरियाणा में नियोजित विकास के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
 - ◆ CUE का लक्ष्य अत्याधुनिक ज्ञान, क्षमता और कार्यान्वयन मॉडल बनाने के लिये एक प्रतिष्ठित संस्थान के साथ साझेदारी करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ◆ इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, हितधारक संवाद को सुविधाजनक बनाना तथा एक दशक के भीतर हरियाणा के शहरी जीवन-यापन सूचकांक को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर तक बढ़ाना है।
- हरियाणा में शहरी विकास:
 - ◆ 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का शहरीकरण स्तर (35%) राष्ट्रीय औसत (31%) से अधिक है।
 - ◆ राज्य की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर (44.25%) राष्ट्रीय दर (32%) से अधिक है।
 - ◆ तीव्र शहरीकरण ने शहरी विकास चुनौतियों से निपटने के लिये CUE जैसी नीति वकालत संस्था की आवश्यकता को उजागर किया है।
- मिशन और केंद्रित क्षेत्र:
 - ◆ CUE का मिशन व्यवस्थित शहरी नवाचार और शासन के लिये राज्य एजेंसियों की क्षमताओं को मजबूत करना है।
 - ◆ इसमें निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाएगा:
 - ◆ पर्यावरणीय स्थिरता।
 - ◆ प्रौद्योगिकी अपनाना।
 - ◆ संसाधन संरक्षण।
 - ◆ लोगों को सर्वप्रथम रखने वाला दृष्टिकोण।
 - ◆ संतुलित वृद्धि और विकास के लिये नीतियों और प्रथाओं को आकार देना।
 - ◆ गतिविधियों में अनुसंधान, रणनीतिक सलाह, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शामिल हैं।

हरियाणा में अवैध खनन कार्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में खनन माफिया ने नूंह ज़िले के घाटा शमशाबाद गाँव में अवैध खनन कार्य के निरीक्षण के दौरान हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के अधिकारियों को कथित रूप से घायल कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- घटना के बारे में:
 - ◆ राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की टीम को पथराव में चोटें आईं और वे बाल-बाल बच गईं।
 - ◆ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और अन्य कानूनों के तहत 22 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की।
- अवैध खनन:
 - ◆ परिचय:
 - अवैध खनन, सरकारी प्राधिकारियों से आवश्यक परमिट, लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन के बिना भूमि या जल निकायों से खनिजों, अयस्कों या अन्य मूल्यवान संसाधनों का निष्कर्षण है।
 - इसमें पर्यावरण, श्रम और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन भी शामिल हो सकता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
कलासरुम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023

BNS 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया, जिसमें 358 धाराओं (IPC की 511) को शामिल किया गया, IPC के अधिकांश प्रावधानों को बनाए रखा गया, नए अपराधों को पेश किया गया, न्यायालय द्वारा बाधित अपराधों को समाप्त किया गया और विभिन्न अपराधों के लिये दंड को बढ़ाया गया।

शामिल नवीन अपराध

- ❖ **विवाह का वादा:** विवाह करने के "झूठे/मिथक" वादे को अपराध घोषित करना
- ❖ **मॉब लिंगिंग:** मॉब लिंगिंग और हेट-क्राइम के कारण होने वाली हत्याओं से जुड़े अपराधों को संहिताबद्ध करना
- ❖ सामान्य आपराधिक कानून अब संगठित अपराध और आतंकवाद को कवर करता है, जिसमें UAPA की तुलना में BNS में आतंक का वित्तपोषण करना शामिल है।
- ❖ **आत्महत्या का प्रयास:** किसी भी लोक सेवक को आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने के आशय से आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध माना गया है।
- ❖ **सामुदायिक सेवा:** इसमें चिकित्सा सेवा/सामुदायिक सेवा को सज़ा के रूप में जोड़ा गया है।

विलोपन

- ❖ **अप्राकृतिक यौन अपराध:** IPC की धारा 377, जो अन्य "अप्राकृतिक" यौन गतिविधियों के बीच समलैंगिकता को अपराध मानती थी, पूरी तरह से निरस्त कर दी गई
- ❖ **व्यभिचार:** शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुरूप व्यभिचार का अपराध हटा दिया गया
- ❖ **ठग:** IPC की धारा 310 पूर्ण रूप से हटा दी गई
- ❖ **लैंगिक तटस्थता:** बच्चों से संबंधित कुछ कानूनों को लैंगिक तटस्थता लाने के लिये संशोधित किया गया है



अन्य संशोधन

- ❖ **फेक न्यूज:** झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना अपराध है
- ❖ **राजद्रोह:** व्यापक परिभाषा देते हुए नए नाम 'देशद्रोह' के साथ पेश किया गया
- ❖ **अनिवार्य न्यूनतम सजा:** कई प्रावधानों में अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है, जो न्यायिक विवेक के दायरे को सीमित करती है
- ❖ **सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान:** श्रेणीबद्ध जुर्माना लगाना (यानी क्षति की मात्रा के अनुरूप जुर्माना)
- ❖ **लापरवाही से मौत:** लापरवाही से मौत की सजा को दो वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया (डॉक्टरों के लिये - 2 वर्ष की कैद)

प्रमुख मुद्दे

- ❖ **आपराधिक उत्तरदायित्व आयु विसंगति:** आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु सात वर्ष बनी हुई है, आरोपी की परिपक्वता के आधार पर इसे 12 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अनुशंसाओं के अनुरूप नहीं है।
- ❖ **बाल अपराध परिभाषाओं में विसंगतियाँ:** BNS2 एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। बच्चों के विरुद्ध कई अपराधों के लिये आयु सीमा भिन्न होती है, जिससे असंगतता की स्थिति उत्पन्न होती है।
- ❖ **बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC प्रावधानों को बरकरार रखना:** BNS2 ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC के प्रावधानों को बरकरार रखा है। यह न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों पर विचार नहीं करता है जैसे कि बलात्कार के अपराध को लैंगिक तटस्थ बनाना और वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करना।

समस्याएँ:

पर्यावरण का क्षरण:

- ❖ इससे वनों की कटाई, मृदा अपरदन, जल प्रदूषण हो सकता है तथा वन्य जीवों के आवास नष्ट हो सकते हैं, जिसके गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

- खतरे:
 - ◆ अवैध खनन में प्रायः पारा और साइनाइड जैसे खतरनाक रसायनों का उपयोग होता है, जो खनिकों और आस-पास के समुदायों के लिये गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं।
- राजस्व की हानि:
 - ◆ इससे सरकारों को राजस्व की हानि हो सकती है, क्योंकि खननकर्ता उचित कर और रॉयल्टी का भुगतान नहीं करते हैं।
 - ◆ इसका महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हो सकता है, विशेषकर उन देशों में जहाँ प्राकृतिक संसाधन राजस्व का प्रमुख स्रोत हैं।
- मानवाधिकार उल्लंघन:
 - ◆ अवैध खनन के परिणामस्वरूप मानव अधिकारों का उल्लंघन भी हो सकता है, जिसमें जबरन श्रम, बाल श्रम और कमजोर आबादी का शोषण शामिल है।

मुख्य सचिव का राखीगढ़ी दौरा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, हरियाणा के मुख्य सचिव ने प्रतिष्ठित हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी का दौरा किया और जिले में चल रही खुदाई में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) का अवलोकन किया।

प्रमुख बिंदु

- राखीगढ़ी पर निर्देश और टिप्पणियां:
 - ◆ परिवारों का स्थानांतरण:
 - मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को पुनर्वास के लिये सरकारी निर्मित आवासों में सुचारू रूप से स्थानांतरित करना सुनिश्चित करें।
 - अधिकारियों को इसकी अखंडता बनाए रखने के लिये स्थल पर से सभी अतिक्रमण हटाने का भी निर्देश दिया गया।
 - ◆ स्थल का अन्वेषण और निरीक्षण:
 - उन्होंने उत्खनन स्थलों का अन्वेषण किया, जिनमें माउंट संख्या एक, तीन और चार शामिल हैं, जिन्हें ASI ने सात खंडों में विभाजित किया है।
 - निर्माणाधीन संग्रहालय का निरीक्षण किया तथा हाल के वर्षों में उत्खनित प्राचीन कलाकृतियों एवं संरचनाओं की समीक्षा की।
 - ◆ विरासत का संवर्द्धन:
 - इस स्थल को संरक्षित रखने तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बढ़ावा देने के महत्त्व पर बल दिया गया।
 - इस बात पर प्रकाश डाला गया कि यह स्थल भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाता है, जिसमें संग्रहालय की कलाकृतियाँ प्राचीन भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली को प्रदर्शित करती हैं।
 - संग्रहालय में खुदाई के दौरान प्राप्त मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा वस्तुएँ, औजार और मानव कंकाल जैसी कलाकृतियाँ प्रदर्शित की जाएँगी।
 - ◆ निष्कर्षों से अंतर्दृष्टि:
 - हड़प्पा सभ्यता की उन्नत वास्तुकला और शहरी नियोजन पर प्रकाश डाला गया, जिसमें राखीगढ़ी चंडीगढ़ जैसे आधुनिक शहरों से मिलती जुलती है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
कलासरूम
कोर्सस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

◆ प्रमुख वास्तुशिल्पीय विशेषताएँ:

- इस स्थल में एक सुनियोजित जल निकासी प्रणाली, अपशिष्ट निपटान के लिये बड़े भंडारण पात्र, तथा वेंटिलेशन प्रणाली वाले दो मंजिला मकान हैं।
- टीला संख्या तीन पर एक स्टेडियम जैसी आकृति मिली है, जो हड़प्पा लोगों की स्थापत्य कला की कुशलता को प्रदर्शित करती है।

◆ जल स्रोत साक्ष्य:

- स्थल के निकट नदी के अवशेष इस बात का संकेत देते हैं कि इस बस्ती के लिये एक प्राचीन जल स्रोत आवश्यक था।

राखीगढ़ी

- राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। यह स्थल घग्गर नदी से लगभग 27 किमी दूर सरस्वती नदी के मैदान में स्थित है।
- ◆ भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता (हड़प्पा सभ्यता) के अन्य बड़े स्थल पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गनवेरीवाला तथा भारत में धोलावीरा (गुजरात) हैं।
- राखीगढ़ी में इसकी शुरुआत का पता लगाने और 6000 ईसा पूर्व (पूर्व-हड़प्पा चरण) से 2500 ईसा पूर्व तक इसके क्रमिक विकास का अध्ययन करने के लिये खुदाई की जा रही है।
- इस स्थल की खुदाई ASI के अमरेंद्र नाथ द्वारा की गई थी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)

- संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ASI, राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिये प्रमुख संगठन है।
- यह राष्ट्रीय महत्त्व के 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का प्रबंधन करता है।
- इसकी गतिविधियों में पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्विक स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव आदि शामिल हैं।
- इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को "भारतीय पुरातत्व के जनक" के रूप में भी जाना जाता है।

हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

अधिकारियों के अनुसार, हरियाणा ने वर्ष 2014 में अपने लिंगानुपात को 871 से बढ़ाकर 2024 में 910 कर दिया है, जो 39 अंकों की वृद्धि दर्शाता है। यह प्रगति हरियाणा के समर्पण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) पहल की सफलता को रेखांकित करती है।

मुख्य बिंदु

- कन्या भ्रूण हत्या का सामना:
 - ◆ हरियाणा ने कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अपना अभियान तीव्र कर दिया है तथा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 के प्रवर्तन को सुदृढ़ किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
कलासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ◆ वर्ष 2014 से अब तक राज्य ने अधिनियम के तहत 1,217 **प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)** दर्ज की हैं, जिनमें अंतर्राज्यीय छापों के माध्यम से दर्ज की गई **397 FIR** भी शामिल हैं।
- ◆ इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप **अवैध लिंग निर्धारण** और कन्या भ्रूण हत्या में शामिल डॉक्टरों, झोलाछाप डॉक्टरों और दलालों को निशाना बनाकर 4,000 से अधिक गिरफ्तारियाँ की गई हैं।

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994

- PCPNDT अधिनियम, 1994 भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे **भारत में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और घटते लिंगानुपात को रोकने** के लिये अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम ने **जन्मपूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध** लगा दिया।
- इस अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य **गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और लिंग-चयनात्मक गर्भपात के लिये प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना** है।

पोषण अभियान

- सरकार द्वारा **8 मार्च, 2018 को पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) शुरू** किया गया।
- अभियान का लक्ष्य **बौनापन, कुपोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में) को कम करना** तथा जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों की संख्या में क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रति वर्ष की कमी लाना है।

सुकन्या समृद्धि खाता योजना

- इसका उद्देश्य **भारत में बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना** है।
- माता-पिता या कानूनी अभिभावक **10 वर्ष से कम आयु की अधिकतम दो बेटियों के लिये जमा खाता खोल सकते हैं** तथा **जुड़वाँ लड़कियों या तीन लड़कियों के मामले में**, योजना में तीन खाते खोलने की अनुमति है।
- न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि **250 रुपए** तथा अधिकतम वार्षिक सीमा **150,000 रुपए** है।
- अधिकतम **15 वर्षों के लिये जमा किया जा सकता है। खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूरे होने पर या खाताधारक की शादी होने पर**, जो भी पहले हो, खाता परिपक्व हो जाता

- **मातृ स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित:**
 - ◆ **हरियाणा ने मातृ स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण प्रगति की है**, जहाँ संस्थागत प्रसव वर्ष 2005-06 में 35.7% से बढ़कर हाल के वर्षों में 94.9% हो गया है।
 - ◆ माध्यमिक शिक्षा में नामांकन वर्ष 2015-16 में 3,85,624 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 4,00,736 हो जाएगा।
- **लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और परिवारों को सहायता प्रदान करना:**
 - ◆ बालिका के जन्म पर 21,000 रुपए की एकमुश्त राशि से 5,23,056 से अधिक परिवारों को लाभ मिला है।
 - ◆ वर्ष 2018 में शुरू किये गए **पोषण अभियान** ने **एनीमिया और बेहतर पोषण** को लक्षित किया है, जिससे **आँगनवाड़ी केंद्रों** के माध्यम से 2,24,136 प्रतिभागियों को लाभ मिला है।
- **किशोरियों को सशक्त बनाना और वित्तीय सहायता पहल:**
 - ◆ **मेवात में किशोर बालिका योजना** ने वर्ष 2024-25 में 14-18 वर्ष की 13,439 बालिकाओं को आत्म-विकास, कौशल-निर्माण और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सहायता प्रदान की है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ **सुकन्या समृद्धि योजना के तहत** 10 वर्ष से कम आयु की बेटियों के लिये 8,23,522 बचत खाते खोले गए हैं।
- ◆ पोक्सो अधिनियम के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, अक्टूबर 2024 तक 778 मामलों में 1.31 करोड़ रुपए वितरित किये गए हैं।
- **मीडिया के माध्यम से लिंग जागरूकता को बढ़ावा देना:**
 - ◆ हरियाणा ने वर्ष 2024 में लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को नया आकार देने के लिये **आकाशवाणी पर "म्हारी लाडो"** रेडियो कार्यक्रम शुरू किया।
- स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय स्वतंत्रता और नेतृत्व को कवर करने वाले इस कार्यक्रम में 1,60,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए हैं।

हरियाणा में नए आपराधिक कानून लागू होंगे

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा 28 फरवरी, 2025 तक तीनों **नए आपराधिक कानूनों** को पूरी तरह से लागू करने जा रहा है। **5G तकनीक** को व्यापक रूप से अपनाना बल गुणक के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि नए कानूनों में अपराध स्थलों और वसूली प्रक्रियाओं की अनिवार्य वीडियोग्राफी के माध्यम से डिजिटल साक्ष्य की आवश्यकता होती है।

मुख्य बिंदु

- **समयसीमा और चुनौतियाँ:**
 - ◆ नये कानून में अदालतों के लिये मुकदमे की कार्यवाही पूरी करने के लिये सख्त समयसीमा तय की गई है।
 - ◆ अदालतों के सामने चुनौतियाँ हैं क्योंकि उन्हें पुराने कानूनों के तहत लंबित मामलों और नए मामलों, दोनों को समयबद्ध तरीके से निपटाना होता है।
 - ◆ अब न्यायालयों को आरोप-पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकार करने होंगे, जिससे अपवाद के लिये कोई जगह नहीं बचेगी।
- **पुलिस नियमों में संशोधन:**
 - ◆ नये कानूनी ढाँचे के अनुरूप बनाने के लिये मौजूदा **पुलिस नियमों में संशोधन की आवश्यकता है।**
 - ◆ उदाहरण के लिये, इलेक्ट्रॉनिक समन वितरण की शुरुआत, जिसका पहले नियमों में उल्लेख नहीं था।
- **ई-समन ऐप:**
 - ◆ ई-समन ऐप, सम्मन की भौतिक डिलीवरी की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।
 - ◆ सम्मन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किये जाते हैं, मोबाइल डिवाइस या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाते हैं तथा स्क्रीनशॉट सिस्टम पर अपलोड किये जाते हैं।
 - ◆ पुलिस व्यवस्था में तकनीकी उन्नयन:
- **उपकरण:**
 - ◆ पुलिस के लिये टैबलेट और मोबाइल हैंडसेट खरीदे जा रहे हैं।
 - ◆ हरियाणा के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) से जुड़े छह कंप्यूटर हैं।
- **ई-साक्ष्य ऐप:**
 - ◆ इसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अपलोड करने के लिये डिजाइन किया गया है, जिसके लिये व्यापक बैकएंड स्टोरेज की आवश्यकता होती है, जिसका प्रबंधन **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)** द्वारा किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- विधायी परिवर्तन:

- ◆ भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय साक्ष्य संहिता (BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) ने क्रमशः भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता का स्थान लिया।
- ◆ 1 जुलाई 2024 से प्रभावी इन कानूनों का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे और फोरेंसिक क्षमताओं को दृढ़ करना है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)

- यह भारत सरकार का एक प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी, जिसका उद्देश्य सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं, एकीकृत सेवाओं और वैश्विक समाधानों को अपनाते हुए ई-सरकार/ई-गवर्नेंस समाधान प्रदान करना है।
- ◆ अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम
- पृष्ठभूमि:
 - ◆ अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) एक योजनागत योजना है, जिसे गैर-योजनागत योजना-कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन (CIPA) के अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है।
- शुरू करना:
 - ◆ CCTNS गृह मंत्रालय की **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP)** के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है।
 - ◆ देश भर में लगभग 14,000 पुलिस स्टेशनों के अलावा पुलिस पदानुक्रम में 6000 उच्च कार्यालयों को स्वचालित करने का प्रस्ताव किया गया है।
 - ◆ इसे वर्ष 2009 में मंजूरी दी गई थी।
- उद्देश्य:
 - ◆ पुलिस थानों के कामकाज को स्वचालित करके पुलिस की कार्यप्रणाली को नागरिक अनुकूल और अधिक पारदर्शी बनाना।
 - ◆ ICT के प्रभावी उपयोग के माध्यम से नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करना।
 - ◆ अपराध की जाँच और अपराधियों का पता लगाने में सुविधा के लिये सिविल पुलिस के जाँच अधिकारियों को उपकरण, प्रौद्योगिकी और सूचना उपलब्ध कराना।

हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के माध्यम से आर्थिक रूप से वंचित नागरिकों को आवास उपलब्ध कराने के लिये अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

- उन्होंने अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिये व्यापक सर्वेक्षण करने और PMAY के तहत आवास आवंटन में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं।

मुख्य बिंदु

- आवास पहल के अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने राज्य भर में 2,200 नए 'अमृत सरोवर' (जल निकाय) बनाने की योजना की घोषणा की, जो अमृत सरोवर योजना के तहत पहले से स्थापित 2,000 के अतिरिक्त होंगे।
- ◆ इस परियोजना का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ाना और कृषि गतिविधियों को समर्थन देना है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- **अक्षय ऊर्जा** के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, सरकार ने 100,000 सौर पैनल लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस पहल से सतत ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा मिलने और राज्य के **कार्बन पदचिह्न** को कम करने की आशा है।
- हरियाणा 28 फरवरी, 2025 तक नए आपराधिक कानून लागू करने वाला पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के बाद दूसरा राज्य बन जाएगा।
- ◆ मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि इन कानूनों को अपनाने के लिये आवश्यक प्रक्रियाएँ चल रही हैं, जिसका उद्देश्य राज्य की कानूनी प्रणाली की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाना है।
- ये पहल हरियाणा सरकार की अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, सतत विकास को बढ़ावा देने और कानूनी सुधार सुनिश्चित करने के प्रति समर्पण को दर्शाती हैं।

अमृत सरोवर मिशन

- 24 अप्रैल, 2022 को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में भारत के “आज़ादी का अमृत महोत्सव” समारोह के हिस्से के रूप में मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया गया।
- मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिये भारत भर के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण/पुनरुद्धार करना है।
- इन जल निकायों के लिये लक्ष्य निर्धारित करना स्थानीय स्तर पर जल स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सहित आठ केंद्रीय मंत्रालय/विभाग मिशन के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं।
- इस मिशन के लिये तकनीकी साझेदार के रूप में भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) को नियुक्त किया गया है।
- ◆ BISAG-N एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- अमृत सरोवर के निर्माण और पुनरुद्धार की पहचान करने तथा उसे क्रियान्वित करने में भू-स्थानिक डेटा और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हरियाणा में 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में गीता को शामिल किया जाएगा

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छात्रों में नैतिक मूल्यों की स्थापना के उद्देश्य से कक्षा 8 तक के स्कूली पाठ्यक्रम में **भगवद् गीता** को शामिल करने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु

- शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और राज्य की शिक्षा प्रणाली में जनता का विश्वास पुनः स्थापित करने के महत्त्व पर बल दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- इसमें छात्र संख्या के आधार पर शिक्षक आवंटन को समायोजित करके शिक्षण स्टाफ की कमी को दूर करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि हालाँकि हरियाणा में पर्याप्त शिक्षक हैं, लेकिन उनके उचित वितरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- ◆ यह सुनिश्चित करने के लिये एक व्यापक कार्य योजना विकसित की जा रही है कि अगले शैक्षणिक सत्र तक सभी शिक्षण पद भरे जाएँ।
- इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चों के समग्र विकास के लिये खेल और स्वच्छता को अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।
- यह पहल हरियाणा सरकार की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और राज्य में छात्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

भूजल प्रदूषण के संबंधी चिंताएँ

चर्चा में क्यों ?

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत भर में भूजल की गुणवत्ता में काफी भिन्नता है, कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों को पूरी तरह से पूरा करते हैं, जबकि राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य व्यापक रूप से संदूषण का सामना कर रहे हैं।

मुख्य बिंदु

- जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नगालैंड ने असाधारण भूजल प्रबंधन प्रथाओं का प्रदर्शन किया है।
- वर्ष 2023 में देश भर में 15,259 भूजल निगरानी स्थानों पर गुणवत्ता डेटा और 4,982 प्रवृत्ति स्टेशनों पर केंद्रित मूल्यांकन के आधार पर रिपोर्ट में एक उल्लेखनीय चिंता “कई क्षेत्रों में यूरेनियम का ऊँचा स्तर” है।
- उच्च यूरेनियम सांद्रता वाले नमूनों को अति-शोषित, गंभीर और अर्ध-गंभीर भूजल संकट वाले क्षेत्रों में एकत्रित किया गया, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक।
- ◆ राजस्थान और पंजाब को यूरेनियम संदूषण के क्षेत्रीय हॉटस्पॉट के रूप में दर्शाया गया है।
- रिपोर्ट में भूजल में नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक और लौह की उच्च सांद्रता के कारण जल की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता भी व्यक्त की गई है।
- लगभग 20% नमूनों में नाइट्रेट की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक पाई गई, जबकि 9% नमूनों में फ्लोराइड का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक पाया गया।
- ◆ 3.5% नमूनों में आर्सेनिक संदूषण पाया गया।
- ◆ राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फ्लोराइड की स्वीकार्य सीमा से अधिक सांद्रता एक बड़ी चिंता का विषय है।
- ◆ राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में नाइट्रेट संदूषण की घटनाएँ सबसे अधिक हैं, जहाँ 40% से अधिक जल नमूनों में नाइट्रेट की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक है।
 - रिपोर्ट में इसका मुख्य कारण कृषि अपवाह और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग बताया गया है।
- मूल्यांकन के दौरान कई राज्यों में, विशेषकर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बाढ़ के मैदानों में आर्सेनिक का स्तर ऊँचा पाया गया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस




IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ इसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और मणिपुर के क्षेत्रों के साथ-साथ पंजाब और छत्तीसगढ़ के राजनांदगाँव जिले के क्षेत्र भी शामिल हैं।
- विद्युत चालकता (EC) जो पानी द्वारा बिजली का संचालन करने की सहजता का माप है। यह वास्तव में पानी के खनिजीकरण का माप है और भूजल की लवणता की डिग्री का संकेत है।
- यह बताता है कि पानी में कितने घुलनशील पदार्थ, रसायन और खनिज मौजूद हैं। इन अशुद्धियों की अधिक मात्रा से पानी की चालकता अधिक हो जाएगी।
- EC स्तरों में बढ़ती प्रवृत्ति भूजल लवणीकरण की एक गहरी समस्या का संकेत देती है।
- रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक भूजल में उच्च EC मूल्य से सबसे अधिक प्रभावित हैं।



हरियाणा के दंपतियों ने उत्तर प्रदेश में अवैध लिंग निर्धारण परीक्षण की मांग की

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा में अवैध लिंग निर्धारण परीक्षण के लिये उत्तर प्रदेश जाने वाले दंपतियों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है।

- यह बदलाव मुख्य रूप से हरियाणा में **कन्या भ्रूण हत्या** के विरुद्ध कार्रवाई के कारण हुआ है, विशेष रूप से जनवरी 2015 में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के शुभारंभ के बाद।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- पिछले एक दशक में, हरियाणा के अधिकारियों ने इन अवैध गतिविधियों से संबंधित लगभग 400 प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की हैं, जिनमें से 205 केवल उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं।
- ये FIR गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 के तहत दर्ज की गई हैं।
 - ◆ यह भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे भारत में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और घटते लिंगानुपात को रोकने के लिये बनाया गया था। इस अधिनियम ने जन्मपूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया।
 - ◆ हरियाणा में अधिकारियों द्वारा अवैध लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या पर कार्रवाई शुरू करने के बाद से, राज्य में PCPNDT अधिनियम, 1994 के तहत 800 से अधिक FIR दर्ज की गई हैं और राज्य और बाहर डॉक्टरों, झोलाछाप डॉक्टरों और दलालों सहित 4,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
- हालाँकि, 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' पहल से हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार करने में कुछ सफलता मिली है, जो वर्ष 2014 में प्रति 1,000 लड़कों पर 871 लड़कियों से बढ़कर वर्तमान में 910 हो गई है।
 - ◆ यह वृद्धि लैंगिक भेदभाव से निपटने और बालिकाओं के मूल्य को बढ़ावा देने के लिये चल रहे प्रयासों को दर्शाती है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

- परिचय:
 - ◆ इसे जनवरी 2015 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य लिंग आधारित गर्भपात और घटते बाल लिंग अनुपात की समस्या से निपटना था, जो वर्ष 2011 में प्रति 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियाँ थी।
 - ◆ यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है।
 - ◆ यह कार्यक्रम देश के 405 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।
- मुख्य उद्देश्य:
 - ◆ लिंग-पक्षपाती लिंग-चयनात्मक उन्मूलन की रोकथाम।
 - ◆ बालिकाओं के जीवन और संरक्षण को सुनिश्चित करना।
 - ◆ बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी सुनिश्चित करना।
 - ◆ बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना।

विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने घोषणा की कि भारत ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन इंजन विकसित करके हरित ऊर्जा नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है।

हाइड्रोजन चालित रेल इंजन का पहला परीक्षण हरियाणा के जींद-सोनीपत मार्ग पर किया जाएगा।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- भारत के हाइड्रोजन ट्रेन इंजन की मुख्य विशेषताएँ:
 - ◆ पावर आउटपुट: 1,200 हॉर्सपावर, वैश्विक समकक्षों से अधिक।
 - ◆ प्रौद्योगिकी: पूर्णतः स्वदेशी विशेषज्ञता का उपयोग करके विकसित की गई।
 - ◆ ग्रीन माइलस्टोन: यह भारत में हाइड्रोजन-चालित परिवहन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।
- वैश्विक नेतृत्व:
 - ◆ वर्तमान में केवल चार देश- जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन- हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ियाँ चलाते हैं, जो 500-600 हॉर्सपावर की शक्ति प्रदान करती हैं।
 - ◆ भारत का स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन इंजन 1,200 अश्वशक्ति की शक्ति के साथ इनसे आगे है, जो अपनी श्रेणी में सर्वाधिक है।
- स्वदेशी विकास:
 - ◆ यह इंजन पूर्णतः स्वदेशी विशेषज्ञता द्वारा विकसित किया गया है, जो स्वच्छ ऊर्जा समाधान में देश के नवाचार को प्रदर्शित करता है।
 - ◆ यह उपलब्धि भारत को हरित ऊर्जा-संचालित विकास में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का नेतृत्व करने की दिशा में एक कदम है।

हरित ऊर्जा

- हरित ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे स्वच्छ, सतत् या नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है।
- हरित ऊर्जा उत्पादन से वायुमंडल में कोई खतरनाक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित नहीं होती, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- सौर, पवन, भू-तापीय, बायोगैस, कम प्रभाव वाली जलविद्युत और कुछ योग्य बायोमास स्रोत सभी प्रमुख हरित ऊर्जा स्रोत हैं।

फाल्केटेड डक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों ने एक दुर्लभ पक्षी प्रजाति, फाल्केटेड डक को देखा।

मुख्य बिंदु

- फाल्केटेड डक:
 - ◆ फाल्केटेड टील (मारेका फाल्काटा), जिसे फाल्केटेड डक के नाम से भी जाना जाता है, एक डैबलिंग बतख है।
- वितरण/ डिस्ट्रीब्यूशन:
 - ◆ पूर्वी साइबेरिया और मंगोलिया से लेकर उत्तरी जापान तक पाया जाता है।
 - ◆ शीतकालीन प्रवास क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी भारत में शामिल हैं।
 - ◆ अमेरिका, पोलैंड और थाईलैंड में भी इसके दुर्लभ दृश्य दर्ज किये गये हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :



- प्राकृतिक वास:
यह वनों से घिरी स्वच्छ जल की झीलों, तालाबों, नदियों और दलदलों को पसंद करता है।
- प्रजनन:
◆ प्रजनन काल मई से जुलाई के प्रारंभ तक रहता है।
◆ घोंसले आमतौर पर पानी के पास जमीन पर, ऊँची घास या झाड़ियों में बनाए जाते हैं।
- आहार:
◆ मुख्यतः शाकाहारी, वनस्पति पदार्थ, बीज, चावल और जलीय पौधे खाते हैं।
◆ कभी-कभी छोटे अकशेरुकी और नरम खोल वाले मोलस्क का सेवन करता है।
- परिसंकट:
◆ उनके मांस और पंखों की मांग के कारण शिकार एक बड़ा संकट है।
- संरक्षण की स्थिति:
◆ अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा इसे “निकट संकटग्रस्त” श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान

- परिचय:
◆ सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पक्षी प्रेमियों के लिये एक स्वर्ग है। यह प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिये प्रसिद्ध है।
■ प्रवासी पक्षी सितंबर में उद्यान में आना शुरू हो जाते हैं। पक्षी मार्च-अप्रैल तक उद्यान को आरामगाह के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
■ गर्मियों और मानसून के महीनों के दौरान उद्यान में कई स्थानीय पक्षी प्रजातियाँ निवास करती हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ◆ अप्रैल 1971 में, उद्यान के अंदर **सुल्तानपुर झील** (1.21 वर्ग किमी. का क्षेत्र) को पंजाब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1959 की धारा 8 के तहत **अभयारण्य** का दर्जा दिया गया था।
- ◆ जुलाई 1991 में **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के अंतर्गत उद्यान का दर्जा बढ़ाकर **राष्ट्रीय उद्यान** कर दिया गया।
- **स्थान:**
- ◆ यह उद्यान हरियाणा के गुड़गाँव ज़िले में स्थित है। उद्यान की दूरी दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर और गुड़गाँव से 15 किलोमीटर है।
- **उद्यान में महत्वपूर्ण जीव:**
- ◆ स्तनधारी: **काला हिरण, नीलगाय, पाढ़ा (हॉग हिरण), सांभर, तेंदुआ** आदि।
- ◆ पक्षी: **साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, डेमोइसेल क्रेन** आदि।

हरियाणा सरकार ने 'आपत्तिजनक' जाति नामों को हटाने का आग्रह किया

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य की **अनुसूचित जातियों** की सूची से **चूड़ा, भंगी और मोची** जैसी विशिष्ट जातियों के नाम हटाने का आग्रह किया है।

- इन नामों को आपत्तिजनक, अपमानजनक माना जाता है और अक्सर अपमानजनक टिप्पणी के रूप में प्रयोग किया जाता है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, जिसे SC/ST अधिनियम 1989 के नाम से भी जाना जाता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जाति आधारित भेदभाव और हिंसा से बचाने के लिये अधिनियमित किया गया था।
- ◆ **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 17** में निहित इस अधिनियम का उद्देश्य इन हाशिए पर पड़े समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पिछले कानूनों की अपर्याप्तताओं को दूर करना है।
- यह अधिनियम **अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955** और **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955** पर आधारित है, जो **अस्पृश्यता और जाति** के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिये स्थापित किये गए थे।
- केंद्र सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये नियम बनाने का अधिकार है, जबकि राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र केंद्रीय सहायता से इसका प्रशासन करते हैं।

मुख्य बिंदु

- राज्य का तर्क है कि ये नाम "न केवल आपत्तिजनक हैं, बल्कि इनकी प्रासंगिकता भी समाप्त हो चुकी है।"
- इस कदम का उद्देश्य इन उपाधियों के माध्यम से कायम जाति-आधारित पूर्वाग्रहों को समाप्त करना है।
- जिन नामों को हटाया जाना है, वे हैं **चूड़ा और भंगी, जो अनुसूचित जाति (SC) सूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित हैं तथा मोची, जो SC सूची के क्रम संख्या 9 पर अंकित है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- जब नकारात्मक रूप से या अपमानजनक रूप से उपयोग किया जाता है, तो ये जातिगत नाम जातिगत पूर्वाग्रह को कायम रखते हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत शिकायतों का परिणाम हो सकता है, जिसमें कठोर दंड का प्रावधान है।
- हालाँकि, इन नामों को SC सूची से हटाने के लिये, केंद्र को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में संशोधन करना होगा, जो SC/ST सूची में जातियों को जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया है।

हरियाणा पुराने वाहनों का निपटान और पुनर्चक्रण करेगा

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार ने पुराने वाहनों के उचित निपटान और पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करने तथा प्रदूषण को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये वाहन स्कैपेज और पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति, 2024 को अधिसूचित किया है।

मुख्य बिंदु

- निर्णय: परिचय
 - ◆ उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में डीजल वाहनों के लिये 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों के लिये 15 वर्ष की सीमा निर्धारित की है।
 - ◆ इस विनियमन के कारण निष्प्रयोज्य वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई, जिसके कारण हरियाणा सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी।
- पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ:
 - ◆ इस नीति का उद्देश्य प्रदूषण को कम करके पर्यावरण की रक्षा करना तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
 - ◆ वाहन मालिकों को वित्तीय लाभ मिलेगा तथा जनता को सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर अव्यवस्थित खड़े रहने वाले लावारिस वाहनों से राहत मिलेगी।
- औद्योगिक योजना के रूप में कार्यान्वयन:
 - ◆ राज्य सरकार इस नीति को एक औद्योगिक योजना के रूप में क्रियान्वित करने की योजना बना रही है, जिसमें नई औद्योगिक इकाइयों के लिये पूंजीगत सब्सिडी या राज्य जीएसटी प्रतिपूर्ति जैसे प्रोत्साहन शामिल होंगे।
 - ◆ उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) के माध्यम से 10 वर्षीय भूमि पट्टे का मॉड्यूल विकसित करेगा।
- उद्यमियों के लिये वित्तीय सहायता:
 - ◆ सरकार उद्यम पूंजी निधि के लिये स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को परियोजना लागत (भूमि को छोड़कर) के 10% के बराबर 20 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
 - ◆ D-श्रेणी के औद्योगिक ब्लॉकों में संपूर्ण स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति की पेशकश की जाती है, जबकि B और C ब्लॉकों में 75% प्रतिपूर्ति की जाती है।
- उत्कृष्टता एवं कौशल विकास केंद्रों के लिये प्रोत्साहन:
 - ◆ सरकार उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिये परियोजना लागत का 50% अनुदान, अधिकतम 5 करोड़ रुपए, प्रदान करेगी।
 - ◆ राज्य में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार में योगदान देने वाले 10 उद्योगों को अतिरिक्त 50 लाख रुपए दिये जाएंगे।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भिक्षावृत्ति के खिलाफ कानून पर नोटिस जारी किया

चर्चा में क्यों ?

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (PIL) के संबंध में हरियाणा और पंजाब सरकारों को नोटिस जारी किये हैं, जिसमें 50 वर्ष पुराने राज्य कानूनों के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, जो भिक्षावृत्ति को अपराध मानते हैं।

मुख्य बिंदु

- याचिका: परिचय
 - ◆ याचिका में कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा में भिक्षावृत्ति से संबंधित कानून भेदभावपूर्ण हैं और भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
 - ◆ जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि राज्य के पास यह सुनिश्चित करने के लिये एक सामाजिक अनुबंध है कि उसके नागरिक सम्मानजनक जीवन जी सकें और राज्य को भिक्षावृत्ति को अपराध मानने की "अनुमति नहीं दी जा सकती"।
 - ◆ याचिका में इन कानूनों में भिक्षावृत्ति की प्रक्रिया को जिस तरह से परिभाषित किया गया है, उस पर भी सवाल उठाया गया है और तर्क दिया गया है कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करते हैं।
- भिक्षावृत्ति की परिभाषा:
 - ◆ इस परिभाषा के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षा मांगने या प्राप्त करने का कोई भी कार्य भिक्षावृत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें गाना, नृत्य करना, भविष्य बताना, करतब दिखाना या वस्तुएँ बेचना शामिल है।
 - ◆ इन व्यवसायों और अन्य के बीच एकमात्र अंतर यह है कि इन व्यवसायों में "कोई मूल्य टैग" नहीं है क्योंकि इसे दर्शकों को भुगतान करने के लिये छोड़ दिया गया है।
 - ◆ कानून में भीख मांगने को निजी संपत्ति पर भिक्षावृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, विशेषकर यदि इसमें घाव, विकृति या चोट दिखाना शामिल हो।
 - ◆ हरियाणा भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1971 में भिक्षावृत्ति की जिस परिभाषा को चुनौती दी गई है, वह बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 पर आधारित है।
 - ◆ यह एक परिभाषा है जिसका उपयोग केंद्र सरकार द्वारा कल्याण और पुनर्वास योजनाओं के लिये भिक्षावृत्ति में लगे लोगों की पहचान करने के लिये किया जाता है।
- कानूनी निहितार्थ:
 - ◆ इस मामले के परिणाम का भारत में हाशिये पर रह रहे समुदायों के साथ व्यवहार तथा गरीबी और बेघरपन से संबंधित कानूनी ढाँचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

2025 गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झाँकी शामिल

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झाँकी विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की प्रगति को उजागर करेगी, जिसमें जनता को लाभ पहुँचाने वाली सरकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झाँकी:
 - ◆ झाँकी में कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिये गए **भगवद् गीता** के दिव्य संदेश को दर्शाया जाएगा।
 - ◆ हरियाणा की झाँकी का विषय “समृद्ध हरियाणा- विरासत और विकास” कुरुक्षेत्र में अपनी ऐतिहासिक जड़ों से लेकर आधुनिक उपलब्धियों तक हरियाणा की यात्रा को दर्शाता है।
- गणतंत्र दिवस परेड 2025 की मुख्य विशेषताएँ:
 - ◆ गणतंत्र दिवस 2025 का विषय ‘स्वर्णिम भारत- विरासत और विकास’ है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी प्रगति की निरंतर यात्रा को दर्शाता है।
 - ◆ 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में तीनों सेनाओं की झाँकी भी शामिल होगी, जिसमें **सशस्त्र बलों** के बीच सहयोग और एकीकरण की भावना पर जोर दिया जाएगा। इस झाँकी का विषय “सशक्त और सुरक्षित भारत” है।
 - ◆ विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की 31 झाँकियाँ इसमें भाग लेंगी, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता और प्रगति को दर्शाएँगी।
 - ◆ गणतंत्र दिवस परेड 2025 भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का एक अनूठा मिश्रण होगा, जिसमें **संविधान** लागू होने के 75 वर्ष और जन भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- इंडोनेशिया की भागीदारी:
 - ◆ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो परेड के मुख्य अतिथि होंगे।
 - ◆ इंडोनेशिया की 160 सदस्यीय मार्चिंग टुकड़ी और 190 सदस्यीय बैंड टुकड़ी भी **भारतीय सशस्त्र बलों** के साथ मार्च करेगी।

गणतंत्र दिवस

- गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 1950 को भारत के संविधान के अंगीकरण तथा देश के गणतंत्र में परिवर्तन की स्मृति में मनाया जाता है, जो 26 जनवरी, 1950 को प्रभावी हुआ।
 - ◆ संविधान को **भारत की संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर, 1949** को अपनाया गया तथा 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया।
- 26 जनवरी, 1950 को प्रभावी होने पर संविधान ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 को निरस्त कर दिया। भारत ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व नहीं रहा और संविधान के साथ एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया।
- प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति, जो राज्य के प्रमुख होते हैं, तिरंगा फहराते हैं, जबकि स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर प्रधानमंत्री, जो केंद्र सरकार का नेतृत्व करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।
 - ◆ यद्यपि दोनों शब्दों का प्रयोग प्रायः एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन ये तिरंगे को प्रस्तुत करने की भिन्न-भिन्न तकनीकों को दर्शाते हैं।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने स्वच्छ वायु परियोजना को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा मंत्रिमंडल ने सतत विकास के लिये **हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना (HCAPSD)** को मंजूरी दे दी है, जो 3,647 करोड़ रुपए की पहल है जिसका उद्देश्य **वायु की गुणवत्ता** में सुधार लाना और सिंधु-गंगा के मैदान में उत्सर्जन को निम्न करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना (HCAPSD):
 - यह परियोजना हरियाणा और सिंधु-गंगा के मैदान में वायु गुणवत्ता में सुधार और उत्सर्जन को कम करने के लिये विश्व बैंक द्वारा समर्थित है।
 - इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों को लागू करना और सीमा पार उत्सर्जन को कम करने के लिये अन्य राज्यों के साथ प्रयासों का समन्वय करना है।
 - यह परियोजना स्वच्छ वायु के माध्यम से नागरिकों के जीवन को सरल बनाने पर भी काम करेगी।

वायु प्रदूषक

सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂):

- परिचय: यह जीवाश्म ईंधन (तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस) के उपभोग से उत्पन्न होता है तथा जल के साथ अभिक्रिया कर अम्ल वर्षा करता है।
- प्रभाव: श्वास संबंधी समस्याओं का कारण बनता है।

ओजोन (O₃):

- परिचय: सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया के तहत अन्य प्रदूषकों (छत्र और टक्के) से बनने वाला द्वितीयक प्रदूषक।
- प्रभाव: आँख और श्वसन संबंधी श्लेष्म झिल्ली में जलन होना तथा अस्थमा के दौर।

नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂):

- परिचय: यह तब बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड (छत्र) और अन्य नाइट्रोजन ऑक्साइड (नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड) हवा में अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं।
- प्रभाव: श्वसन रोग साथ ही यह अस्थमा को भी बढ़ा सकता है।

कार्बन मोनो ऑक्साइड (CO):

- परिचय: यह कार्बन युक्त यौगिकों के अधूरे दहन से प्राप्त एक उत्पाद है।
- प्रभाव: मस्तिष्क तक ऑक्सीजन की अर्थात् पहुँच के कारण थकान होना, घम की स्थिति पैदा होना और चक्कर आना।

अमोनिया (NH₃):

- परिचय: अमोनो एसिड और अन्य यौगिकों के चयापचय द्वारा उत्पादित जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है।
- प्रभाव: आँखों, नाक, गले और श्वसन मार्ग में तुरंत जलन और इसके परिणामस्वरूप अथापन, फेफड़ों की क्षति हो सकती है।

शीशा/लेड (Pb):

- परिचय: चांदी, प्लैटिनम और लोह जैसे धातुओं के निष्कर्षण के दौरान अपने संबंधित अयस्क से अपशिष्ट उत्पाद के रूप में मुक्त होता है।
- प्रभाव: एनीमिया, कमजोरी और मुँदे तथा मस्तिष्क की क्षति।

वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी (PM):

- PM10: ऐसे कण जो श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, इनका व्यास सामान्यतः 10 मिमी. या उससे भी कम होता है।
- PM2.5: ऐसे सूक्ष्म कण जो श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, इनका आकार सामान्यतः 2.5 मिमी. या उससे भी छोटा होता है।
- स्रोत: ये इनके उत्सर्जन निर्माण स्थलों, कच्ची सड़कों, खेतों/मैदानों तथा आग से उत्सर्जित होते हैं।
- प्रभाव: हृदय की थड़कनों का अनियमित होना, अस्थमा का और गंभीर हो जाना तथा फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी।

नोट: इन प्रमुख वायु प्रदूषकों को वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल किया गया है जिसके लिये अल्पकालिक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किये गए हैं।

- परियोजना कार्यान्वयन और प्रशासन:
 - इस परियोजना का नेतृत्व हरियाणा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कृषि, परिवहन और उद्योग सहित कई अन्य विभागों के सहयोग से किया जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ एक त्रि-स्तरीय शासी संरचना प्रगति की देखरेख करेगी, जिसमें मुख्य सचिव शीर्ष स्तरीय समिति की अध्यक्षता करेंगे।
- स्वच्छ वायु राजदूत कार्यक्रम:
 - ◆ एक राज्यव्यापी फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिये जिला स्तर पर 24 “स्वच्छ वायु राजदूत” शामिल होंगे।
- राज्य सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम:
 - ◆ महिला सशक्तीकरण योजना- लाडो लक्ष्मी योजना:
 - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि आगामी राज्य बजट में महिलाओं के लिये लाडो लक्ष्मी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी।
 - ❖ हरियाणा सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं की सहायता के लिये लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को प्रति माह ₹2,100 मिलेंगे।
 - ◆ सिविल जज विभागीय परीक्षाएँ:
 - मंत्रिमंडल ने सिविल न्यायाधीशों की विभागीय परीक्षा के नियमों में संशोधन किया है, अब ये परीक्षाएँ उच्च न्यायालय या नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाएँगी।
 - ◆ पूर्व कर्मचारियों के लिये राहत:
 - राज्य सरकार ने हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (HML) और हैंडलूम एवं एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के पूर्व कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि माफ कर दी है।
 - इन पूर्व कर्मचारियों को अक्टूबर 2020 से 36,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का निश्चित मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा।

नीति आयोग का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) 2025 रिपोर्ट में हरियाणा को 14वाँ स्थान दिया गया है, जो इसे 18 प्रमुख राज्यों में सबसे निचले पाँच राज्यों में शामिल करता है।

- रैंकिंग में पाँच मापदंडों पर विचार किया जाता है: व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण, राजकोषीय विवेकशीलता, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता।

मुख्य बिंदु

- FHI का दायरा:
 - ◆ यह सूचकांक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP), जनसांख्यिकी, सार्वजनिक व्यय, राजस्व और राजकोषीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 18 प्रमुख राज्यों को कवर करता है।
 - ◆ यह वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022-23 की अवधि के लिये राजकोषीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
कलासरूम
कोर्सस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नीति आयोग

(राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था)

इतिहास- योजना आयोग

वर्ष 1950 में निवेश संबंधी गतिविधियों को निर्देशित करने हेतु स्थापित

1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित

नीति आयोग की संरचना

अध्यक्ष

प्रधानमंत्री

शासी मंत्रिपरिषद्

CMS (राज्य) और उपराज्यपाल (VTS)

क्षेत्रीय परिषदें

आवश्यकतानुसार गठित, जिसमें क्षेत्र के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं

सदस्य

पूर्णकालिक

अंशकालिक सदस्य

अधिकतम 2, क्रमिक, महत्त्वपूर्ण संस्थानों से

पदेन सदस्य

अधिकतम 4 मंत्रिपरिषद् से, प्रधानमंत्री द्वारा नामित

विशेष आमंत्रितकर्ता

अनुभवी, विशेषज्ञ, डोमेन ज्ञान वाले अभ्यासकर्ता

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निश्चित कार्यकाल के लिये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त (सचिव रैंक)

सचिवालय

आवश्यकतानुसार

उद्देश्य

- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
- विश्वसनीय योजनाओं के निर्माण हेतु तंत्र विकसित करना (ग्रामीण स्तर पर)
- आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा
- सुभेद्य वर्गों पर विशेष ध्यान
- प्रमुख हितधारकों, नेशनल-इंटरनेशनल थिंक टैंक, शोध संस्थानों के बीच साझेदारी के लिये सलाह और प्रोत्साहन प्रदान करना
- ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली का निर्माण
- अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना
- अत्याधुनिक संसाधन केंद्र (state-of-the-art Resource Centre) बनाए रखना

नीति आयोग बनाम योजना आयोग

नीति आयोग	योजना आयोग
यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।	यह गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था।
इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।	इसमें सीमित विशेषज्ञता थी।
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है।	सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था।
यह योजना के 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर केंद्रित है।	इसने 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोण का अनुसरण किया।
इसके पास नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है।	राज्यों पर नीतियों को लागू किया और अनुमोदित परियोजनाओं के साथ धन का आवंटन किया।
इसके पास निधि आवंटित करने का अधिकार नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है।	इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को निधि आवंटित करने का अधिकार था।

प्रमुख पहलें

- सतत् विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स
- अटल इनोवेशन मिशन
- ई-अमृत पोर्टल (इलेक्ट्रिक वाहन)
- सुशासन सूचकांक
- भारत नवाचार सूचकांक
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम
- 'मैथनॉल अर्थव्यवस्था' कार्यक्रम

प्रमुख पहलें

- राज्यों को विवेकाधीन निधि प्रदान करने का अधिकार नहीं
- केवल एक सलाहकार निकाय
- निज़ी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में कोई भूमिका नहीं
- संगठन का राजनीतिकरण
- सकारात्मक बदलाव लाने के लिये अपेक्षित शक्ति (Requisite Power) का अभाव



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- हरियाणा का प्रदर्शन:
- ऋण प्रोफ़ाइल और चिंताएँ:
 - ◆ हरियाणा का ऋण-GSDP अनुपात वर्ष 2018-19 में 26% से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 33% हो गया, जो वर्ष 2022-23 में 31% पर स्थिर हो गया।
 - ◆ वर्ष 2022-23 में ब्याज भुगतान में 9.4% की वृद्धि हुई, जिसमें ब्याज भुगतान-से-राजस्व प्राप्ति अनुपात 23% रहा।
 - ◆ ऋण सूचकांक पैरामीटर पर हरियाणा 15वें स्थान पर है, जो केवल केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब से आगे है।
- राजस्व एवं राजकोषीय घाटा:
 - ◆ हरियाणा का राजस्व घाटा वर्ष 2022-23 में GSDP का 1.7% रहा, जो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को पूर्ण करने में विफल रहा।
 - ◆ वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक राजकोषीय घाटे को मुख्य रूप से सार्वजनिक ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया गया, जिसमें बाजार उधार और केंद्र सरकार से ऋण शामिल हैं।
- व्यय की गुणवत्ता:
 - ◆ व्यय की गुणवत्ता के मामले में हरियाणा 24.8 अंक के साथ 16वें स्थान पर है, जो केवल पंजाब और केरल से आगे है।
 - ◆ GSDP की तुलना में पूंजीगत व्यय वृद्धि में वर्ष 2018-19 से गिरावट आई है, जो वर्ष 2022-23 में GSDP का केवल 1.4% रह गई है, जो बजट अनुमान से कम है।
 - ◆ कुल व्यय के हिस्से के रूप में पूंजीगत व्यय वर्ष 2018-19 में 16.4% से घटकर वर्ष 2022-23 में 9.7% हो गया।
- हरियाणा के लिये अनुशंसाएँ:
 - ◆ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय बढ़ाया जाना।
 - ◆ कर संग्रहण दक्षता में वृद्धि।
 - ◆ ऋण स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मजबूत राजकोषीय प्रबंधन ढाँचा स्थापित करना।
 - ◆ अल्पावधि और मध्यमावधि राजकोषीय स्थिरता में सुधार के लिये राजस्व आधार को व्यापक बनाना और व्यय को युक्तिसंगत बनाना।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत ड़ों के माध्यम से 20 ज़िलों में 4,533 लाभार्थियों को भूखंड आवंटित किये।

मुख्य बिंदु

- प्रथम चरण में आवंटित आवासीय भूखंड:
 - ◆ 20 ज़िलों की ग्राम पंचायतों में सभी पात्र आवेदकों को 100 वर्ग गज के भूखंड आवंटित किये गए:
 - अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरूग्राम, हिसार, झज़र, जौंद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, नारनौल, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, भिवानी, फतेहाबाद, रोहतक और हिसार जिलों के घुमंतू जाति, विधवा और अनुसूचित जाति के पात्र आवेदकों को भी 100 वर्ग गज के भूखंड प्राप्त हुए।
- ◆ महाग्राम पंचायत बहल में पात्र आवेदकों को 50 वर्ग गज के भूखंड आवंटित किये गए।
- आवंटन की विधि:
 - ◆ पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए पात्र लाभार्थियों को आवासीय भूखंडों का आवंटन ड्रा सिस्टम के माध्यम द्वारा किया गया।

हरियाणा-दिल्ली यमुना जल विवाद

चर्चा में क्यों ?

यमुना नदी को लेकर हरियाणा-दिल्ली विवाद एक बार फिर अहम राजनीतिक मुद्दा बन गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री (CM) ने हरियाणा सरकार पर यमुना को अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट से प्रदूषित करने का आरोप लगाया है।

मुख्य बिंदु

- जल प्रदूषण के आरोप:
 - ◆ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हरियाणा की कार्रवाई को "जल आतंकवाद" करार दिया और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया था कि यमुना में अमोनिया का स्तर उपचार योग्य सीमा से अधिक बढ़ गया है।
 - ◆ हरियाणा से अनुपचारित सीवेज या औद्योगिक अपशिष्ट के मिश्रण के कारण यमुना नदी के माध्यम से हरियाणा से दिल्ली आने वाले जल में अमोनिया का स्तर लगातार बढ़ रहा है।
- कानूनी और राजनीतिक इतिहास:
 - ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार फैसला दिया है कि हरियाणा को दिल्ली को जल का उचित हिस्सा सुनिश्चित करना होगा।
 - यमुना जल बँटवारा विवाद एक दीर्घकालिक विवाद है, जो वर्ष 1995 से चल रहा है।
 - ❖ 1994 समझौता ज्ञापन (MoU): पाँच राज्यों (दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश) ने यमुना जल वितरण को विनियमित करने के लिये वर्ष 1994 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
 - ❖ सर्वोच्च न्यायालय 1995 और 1996 में हरियाणा से दिल्ली को जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये हस्तक्षेप किया था। कई याचिकाओं और कानूनी लड़ाइयों के बावजूद, यह मुद्दा अभी भी अनसुलझा है।
 - नव गतिविधि:
 - ◆ वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और हरियाणा के मुख्य सचिवों को जल विवादों को सुलझाने का निर्देश दिया था।
 - ◆ वर्ष 2021 में, दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर यमुना का जल रोकने का आरोप लगाया, हरियाणा ने जवाब दिया कि दिल्ली का संकट "आंतरिक कुप्रबंधन" के कारण था।
 - ◆ जुलाई 2023 में दिल्ली में आई बाढ़ के कारण नए आरोप लगे, दिल्ली सरकार ने दावा किया कि हरियाणा ने जानबूझकर हथिनीकुंड बैराज से अतिरिक्त जल छोड़ा है।
 - ◆ जून 2024 में, दिल्ली की सीएम ने हरियाणा पर "दिल्ली के विरुद्ध साजिश" करने का आरोप लगाया और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, जिसे उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण पांच दिनों के बाद समाप्त कर दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स




दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

यमुना

- यमुना नदी, गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निचले हिमालय के मसूरी पर्वतमाला में बंदरपूछ चोटियों के निकट यमुनोत्री ग्लेशियर से प्रवाहित होती है।
- यह नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से होकर बहने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम पर गंगा से मिलती है।
- लंबाई: 1376 किमी.
- महत्वपूर्ण बाँध: लखवार-व्यासी बांध (उत्तराखंड), ताजेवाला बैराज बाँध (हरियाणा) आदि।
- महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ: चंबल, सिंध, बेतवा और केन।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

- दिल्ली निवासियों पर प्रभाव:
 - ◆ इस विवाद के कारण दिल्ली में, विशेषकर गर्मियों के महीनों में, जल की गंभीर कमी हो गई है।
 - ◆ अमोनिया का बढ़ा हुआ स्तर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये संकट उत्पन्न करता है तथा जल उपचार प्रक्रिया को जटिल बनाता है।
- भविष्य का दृष्टिकोण:
 - ◆ कानूनी हस्तक्षेप के बावजूद विवाद अभी तक सुलझा नहीं है।
 - ◆ आगामी चुनावों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है।
 - ◆ दिल्ली की जल सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिये दीर्घकालिक स्थायी समाधान की आवश्यकता है।

यमुना जल को ज़हरीला बताने के विरुद्ध मामला दर्ज

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार ने राजनीतिक पार्टी के नेता के विरुद्ध सोनीपत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत मामला दर्ज किया, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि हरियाणा से आने वाले यमुना के जल में “ज़हर” है।

मुख्य बिंदु

- शिकायत दर्ज की गई:
 - ◆ धारा 54, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005: आपदाओं के संबंध में गलत चेतावनी देने पर सज़ा (1 वर्ष तक की कैद या जुर्माना)।
 - ◆ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 353 और 356: सार्वजनिक शरारत और मानहानि।
 - ◆ भारत निर्वाचन आयोग की संलिप्तता: भारत निर्वाचन आयोग ने दावे के संबंध में तथ्यात्मक और कानूनी आधार मांगते हुए साक्ष्य मांगे।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

- परिचय:
 - ◆ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को भारत सरकार ने वर्ष 2005 में आपदाओं और इससे जुड़े अन्य मामलों के कुशल प्रबंधन के लिये पारित किया था। हालाँकि, यह जनवरी 2006 में लागू हुआ।
- उद्देश्य:
 - ◆ आपदाओं का प्रबंधन करना, जिसमें शमन रणनीतियों की तैयारी, क्षमता निर्माण शामिल है।
 - आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 (D) में “आपदा” की परिभाषा यह है कि आपदा का अर्थ है “किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होने वाली तबाही, दुर्घटना, विपत्ति या गंभीर घटना।”
- अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ:
 - ◆ नोडल एजेंसी: अधिनियम गृह मंत्रालय को समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के संचालन के लिये नोडल मंत्रालय के रूप में नामित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ◆ संस्थागत संरचना: यह राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर संस्थाओं की एक व्यवस्थित संरचना स्थापित करता है।
- ◆ राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण संस्थाएँ:
 - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA): इसका कार्य आपदा प्रबंधन नीतियाँ बनाना तथा समय पर एवं प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करना है।
 - राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC): इसका गठन अधिनियम की धारा 8 के तहत **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिये किया गया है।
 - ❖ NEC पूरे देश के लिये **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना** तैयार करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये जिम्मेदार है कि इसकी वार्षिक समीक्षा की जाए तथा इसे अद्यतन किया जाए।
 - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM): यह प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिये प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों हेतु एक संस्थान है।
 - राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF): यह प्रशिक्षित पेशेवर इकाइयों को संदर्भित करता है जिन्हें आपदाओं के लिये विशेष प्रतिक्रिया के लिये बुलाया जाता है।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :